WTO के अपीलीय निकाय में सुधार

यह एडिटोरियल 05/02/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Crown Jewel That Was" लेख पर आधारित है। इसमें वर्ष 2019 के उत्तरार्द्ध के बाद से WTO के अपीलीय निकाय (AB) में आई अक्षमता की पड़ताल की गई है, जहाँ इसकी शिथिलता के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उत्पन्न एकतरफा बाधा को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिससे नए सदस्यों की नियुक्ति बाधित हो गई है।

प्रिलिम्स के लिये:

WTO, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता (GATT), सब्सिडी बॉक्स, सब्सिडी और काउंटरवेलिंग शुल्क पर WTO का समझौता, कृषि पर WTO का समझौता।

मेन्स के लिये:

WTO सुधार और विकासशील देशों पर इसका प्रभाव, WTO में सुधारों के संदर्भ में भारत के सुझाव।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) के सदस्य देश फ़रवरी 2024 में आहूत 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के लिये अबू धाबी में मिलेंगे तो संगठन के विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism- DSM) में जारी संकट उनके लिये वार्ता का एक प्रमुख एजेंडा होगा। WTO के DSM में एक पैनल और एक अपीलीय निकाय (Appellate Body- AB) के साथ एक बाध्यकारी दो-स्तरीय प्रक्रिया शामिल है। वर्ष 2019 के उत्तरार्द्ध के बाद से यह निष्क्रिय बना हुआ है क्योंकि अमेरिका (जिसे AB के समक्ष प्रस्तुत कई महत्त्वपूर्ण विवादों में हार का सामना करना पड़ा है) ने एकतरफा तरीके से नए सदस्यों की नियुक्ति को बाधित कर रखा है।

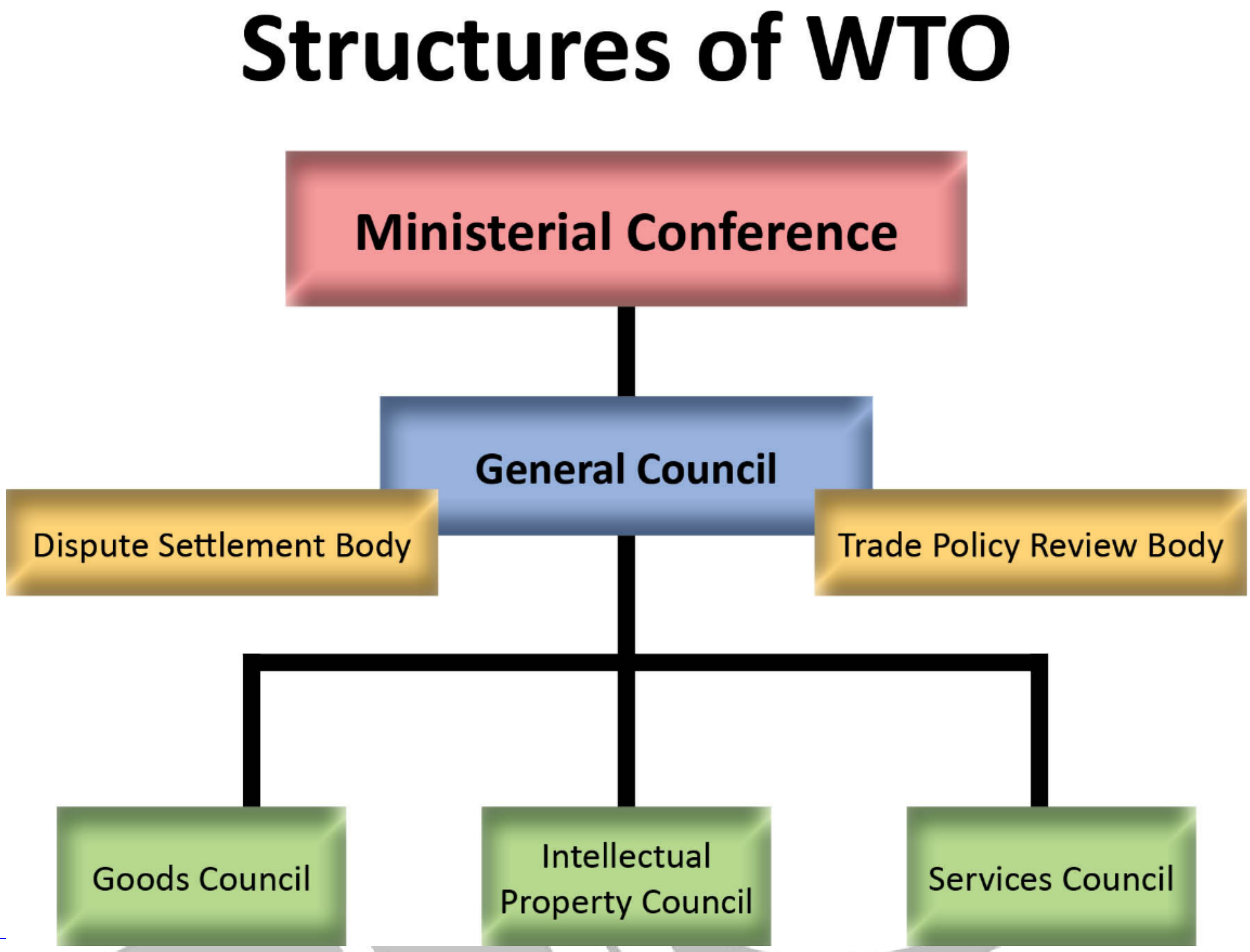

//

WTO का विवाद निपटान तंत्र (DSM):

- **परामर्श:**
  - औपचारिक विवाद शुरू करने से पहले, शिकायत करने वाले पक्ष को बचाव पक्ष से परामर्श का अनुरोध करना चाहिये। वार्ता के माध्यम से विवाद को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाने की दिशा में यह पहला कदम होता है।
  - यह परामर्श विशिष्ट समयसीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिये और इसमें शामिल पक्षकारों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- **पैनल स्थापना:**
  - यदि परामर्श विवाद को हल करने में विफल रहता है तो शिकायत करने वाला पक्ष विवाद निपटान पैनल की स्थापना का अनुरोध कर सकता है। **विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body- DSB)** इस प्रक्रिया की निगरानी करता है।
  - WTO सदस्यों के बीच विवादों के निपटान के लिये DSB के रूप में सामान्य परिषद (General Council) आहूत की जाती है। DSB के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:
    - विवाद निपटान पैनल स्थापित करना,
    - मामलों को मध्यस्थता (arbitration) के लिये संदर्भित करना;
    - पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता रिपोर्ट को अपनाना;
    - ऐसी रिपोर्टों में निहित सिफ़ारिशों और निर्णयों के कार्यान्वयन पर निगरानी बनाए रखना; और
    - उन सिफ़ारिशों और निर्णयों के ग़ैर-अनुपालन की स्थिति में रियायतों के निलंबन को अधिकृत करना।
  - पैनल का निर्माण व्यापार कानून और विवाद की विषय वस्तु में प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों से किया जाता है। पैनल मामले की जाँच करता है, दोनों पक्षों के तर्कों की समीक्षा करता है और एक रिपोर्ट जारी करता है।
- **पैनल रिपोर्ट:**
  - पैनल की रिपोर्ट में तथ्य के निष्कर्ष, कानूनी व्याख्याएँ और समाधान के लिये सिफ़ारिशें शामिल होती हैं। इसे सभी WTO सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाता है, जिससे उन्हें इसकी समीक्षा करने और अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करने की अनुमति मिलती है।
- **अंगीकरण या अपील:**

        - DSB इस पैनल रिपोर्ट को अंगीकृत करता है यदि ऐसा करने के विरुद्ध आम सहमति न हो। यदि आम सहमति नहीं बनती है तो मामले की अपील अपीलीय निकाय के समक्ष की जा सकती है।
        - **WTO का अपीलीय निकाय:**
            - अपीलीय निकाय (Appellate Body) की स्थापना वर्ष 1995 में विवाद निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं प्रक्रियाओं पर समझौता (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes- DSU) के अनुच्छेद 17 के तहत की गई थी।
            - यह सात-सदस्यीय स्थायी निकाय है जो WTO सदस्यों द्वारा उठाये गए विवादों पर पैनल द्वारा जारी रिपोर्टों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। अपीलीय निकाय के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिये नियुक्त किये जाते हैं।
            - यह पैनल के कानूनी अन्वेषण और निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उन्हें पलट सकता है। अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, यदि DSB द्वारा अंगीकृत कर ली जाती है तो फिर यह विवाद में शामिल पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है।
            - अपीलीय निकाय की **सीट जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।**
- **सिफारिशों का कार्यान्वयन:**
    - यदि कोई WTO सदस्य अपने दायित्वों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उससे WTO समझौतों के अनुपालन में अपने उपाय लागू करने की उम्मीद की जाती है।
    - यदि सदस्य ऐसा करने में विफल रहता है तो शिकायतकर्ता प्राधिकार से उस पर रियायतों या अन्य उपायों के निलंबन के माध्यम से जवाबी कार्रवाई करने की मांग कर सकता है।

अमेरिका द्वारा WTO के लिये कौन-सी एकतरफा चुनौतियाँ पेश की गई हैं?

- **WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11), 2017:**
    - ब्यूनस आयर्स में आयोजित सम्मेलन बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया क्योंकि 164 सदस्यीय निकाय में आम सहमति नहीं बन पाई।
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका ने** खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सरकारी स्टॉकहोल्डिंग पर **स्थायी समाधान को अवरुद्ध कर दिया**, जिसके परिणामस्वरूप ई-कॉमर्स और निवेश सुविधा सहित नए मुद्दों पर भारत अपना रुख सख्त करने के लिये बाध्य हुआ।
- **ई-कॉमर्स वार्ता:**
    - अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के नेतृत्व में विकसित देशों ने WTO के भीतर ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा और MSMEs पर बड़े दबाव समूहों का निर्माण कर (जहाँ प्रत्येक सूत्रीकरण में 70 से अधिक देश शामिल थे) WTO वार्ताओं में जारी गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की।
        - यद्यपि WTO आम सहमति से संचालित होता है और यहाँ तक कि किसी बहुपक्षीय समझौते के लिये भी सभी सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इन समूहों के गठन से WTO को बहुपक्षवाद पर अपने फोकस से दूर करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये सुधार बड़े पैमाने पर विकासशील देशों (जैसे G-77 आदि) द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- **TRIPS के विवादास्पद प्रावधानों का बचाव:**
    - अमेरिका द्वारा व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (Trade Related Intellectual Property' rights- TRIPs)—जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल हैं, का कठोर बचाव किया जाता है और स्वास्थ्य एवं मानव जीवन की परवाह नहीं की जाती है।
    - WTO ने उप-सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के देशों में (जहाँ हर दिन HIV/AIDS से हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है) जीवनरक्षक दवाएँ प्रदान कर अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रयास करने वाली सरकारों के विरुद्ध **फार्मास्युटिकल कंपनियों के 'लाभ के अधिकार'** की रक्षा की है।
- **व्यापार वार्ता के दोहा दौर के मुद्दे:**
    - अमेरिका ने अत्यधिक मांगें तैयार करने के रूप में, जिनकी पूर्ति के लिये कोई देश तैयार नहीं था, जानबूझकर दोहा दौर की व्यापार वार्ता प्रक्रिया को प्रभावित किया।
    - अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकता यह नहीं थी कि गतिरोध की शिकार WTO वार्ता को पुनर्जीवित किया जाए, बल्कि वह अपने प्रतिस्पर्द्धियों यूरोप और चीन को नियंत्रित करने के लिये अपने **नवनिर्मित विकल्प TPP (Trans-Pacific Partnership)** पर केंद्रित था।
- **अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति को बाधित करना:**
    - कई वर्षों से व्यापार विवादों के निपटारे की बहुपक्षीय प्रणाली गहन संवीक्षा और निरंतर आलोचना के अधीन रही है।
    - अमेरिका ने व्यवस्थित रूप से अपीलीय निकाय के नए सदस्यों और न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर रखा है और वास्तविक रूप से WTO अपील तंत्र के कार्यकरण को बाधित किया है।
        - वर्ष 2024 तक एक पूर्ण सक्रिय DSM का निर्माण करने के संकल्प के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को 'डी-ज्युडिशियलाइज़' करने की अमेरिका की प्रवृत्ति विवाद निपटान तंत्र को पुनर्जीवित करने (जैसा वह वर्ष 2019 से पहले रहा था) की राह में एक बड़ी चुनौती है।
- **एकतरफा टैरिफ उपायों का आक्रामक उपयोग:**
    - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ उपायों का आक्रामक उपयोग, चीन का वणिकवाद (mercantilism) और आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण नए क्षेत्रों में विषयों का विस्तार करने के मामले में आम सहमति तक पहुँच सकने की WTO सदस्यों की असमर्थता WTO की आलोचना को और आधार प्रदान करती है।
- **देशों को परिभाषित करने में आम सहमति का अभाव:**
    - WTO वार्ताओं में एक समस्या यह भी है कि WTO में विकसित या विकासशील देश कौन हैं, इसकी कोई सहमत परिभाषा मौजूद नहीं है।
    - वर्तमान में सदस्य देश 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (special and differential treatment) प्राप्त करने के लिये स्वयं को विकासशील देश के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं, जो एक ऐसा अभ्यास है जो व्यापक विवाद का विषय रहा है।

- उदाहरण के लयि, चीन और भारत को WTO में 'वकिासशील देश' का दर्जा प्राप्त हुआ, जो एक ववािदास्पद मुद्दा बन गया और अमेरिका एवं यूरोपीय संघ ने इस नरि्णय के वरिुद्ध चति जताई।

- **भारत की पहलों को अमेरिका द्वारा बाधति कयिा जाना:**
  - भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतकिारी शुल्क लगाना, गैर-आप्रवासी वीजा के मामले में अमेरिका द्वारा कयि गए उपाय, अमेरिका के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा इस्पात एवं एल्यूमीनयिम उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क आदविे ववािद के वषिय हैं जहाँ भारत एक वादी या शकियितकर्ता पक्ष है।
    - पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा प्रतबिंध पर अमेरिका की शकियित और सूचना एवं संचार प्रौद्योगकिी की कुछ वस्तुओं पर भारत के आयात शुल्क पर यूरोपीय संघ, जापान एवं ताइवान द्वारा दर्ज की गई शकियित, ऐसे कुछ मामले हैं जहाँ भारत WTO में एक प्रतविादी पक्ष है।

वशि्व व्यापार संगठन में सुधार के क्या उपाय हैं?

- **नए सदस्यों की नयिुक्त िके प्रस्ताव का समर्थन करना:**
  - आमतौर पर अपीलीय नकिाय में नई नयिुक्तयिाँ WTO सदस्यों की आम सहमत िसे की जाती हैं, लेकनि जहाँ आम सहमत िसंभव नहीं है वहाँ मतदान का भी प्रावधान है।
  - भारत सहति 17 अल्पवकिसति और वकिासशील देशों का समूह, जो अपीलीय नकिाय में गतरिोध को समाप्त करने के लयि मलिकर कार्य करने के लयि प्रतबिद्ध है, इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और मतदान बहुमत से अपीलीय नकिाय में नए सदस्यों को शामलि करने का प्रयास कर सकता है।
    - लेकनि इसके दुष्परणिाम भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंक िसभी देश प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के वीटो का वरिोध करने पर उसकी ओर से एकतरफा कार्रवाइयों का भय रखते हैं।
- **वधि िउल्लंघन पर उपयुक्त दंड:**
  - यद िकसिी देश ने कुछ गलत कयिा है तो उसे शीघ्रता से अपनी गलतयिों को सुधारना चाहयि। यद िवह कसिी समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो उसे मुआवजे की पेशकश करनी चाहयि या उचति प्रतकि्रयिा का सामना करना चाहयि जसिमें कुछ उपचार (remedy) शामलि हो –हालाँक ियह वास्तव में कोई दंड नहीं है, बल्क िएक 'उपचार' है और कसिी भी देश के लयि नयिमों का पालन करना ही अंतमि लक्ष्य होना चाहयि।
    - दोषी पाए जाने पर ऐसे देशों को '**हरति जलवायु कोष**' में अनवािर्य रूप से एक वशिष राश िजमा करने के लयि बाध्य कयिा जा सकता है।
- **सुधारात्मक दृष्टकिोण:**
  - सुधारात्मक दृष्टकिोण पर आधारति स्थायी दीर्घकालकि समाधानों में नवरि्तमान सदस्यों के लयि एक संक्रमणकालीन नयिम शामलि हो सकता है, जो उन्हें अपने कार्यकाल की समाप्त िके बाद भी लंबति अपीलों को पूरी तरह से नपिटने की अनुमत िदेता हो और नीतगित क्षेत्र का अतकि्रमण कयि बनिा सहमत राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ की अपीलीय नकिाय द्वारा व्याख्या को सीमति करता हो, ताक िराष्ट्रों की संप्रभुता को सुरक्षति रखा जा सके।
- **सदस्यों की नयिमति बैठक:**
  - अन्य दीर्घकालकि समाधानों में प्रभावी संचार और तत्काल नवािरण तंत्र सुनशि्चति करने के लयि अपीलीय नकिाय के साथ WTO सदस्यों की नयिमति बैठकें आयोजति करना शामलि हैं।
    - इस प्रकार, सभी देशों को संकट से नपिटने के लयि एक साथ आना चाहयि ताक िसबसे खराब परदिृश्य का सामना न करना पड़े।
- **DSM पुनर्बहाली के लयि वकिासशील देशों का आह्वान:**
  - भारत सहति अन्य वकिासशील देश, WTO के ववािद नपिटान तंत्र (DSM) को उसकी पछिली कार्यात्मक स्थित िमें बहाल करने की वकालत कर रहे हैं, जहाँ वे अपीलीय नकिाय द्वारा प्रदत्त नयिंत्रण एवं संतुलन के महत्त्व पर बल देते हैं।
- **वकिासशील देशों के लयि वकिल्प:**
  - वकिासशील देशों को WTO में दो-स्तरीय DSM बनाए रखने के लयि तीन वकिल्पों का सामना करना पड़ता है: (a) यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली अंतरमि अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Interim Appeal Arbitration Arrangement- MPIA) में शामलि होना, (b) एक कमज़ोर अपीलीय नकिाय को स्वीकार करना, या (c) ऑप्ट-आउट प्रावधान वाले मूल अपीलीय नकिाय को पुनर्जीवति करना।
    - **अंतरमि समाधान के रूप में MPIA:** वकिासशील देशों के लयि पहला वकिल्प यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले MPIA में शामलि होना है, जो एक बहुदलीय अंतरमि अपील मध्यस्थता व्यवस्था है जो मध्यस्थता तंत्र को औपचारकि बनाती है, लेकनि इसमें स्वैच्छकि प्रकृत िऔर सार्वभौमकि अंगीकरण की कमी जैसी खामयिाँ भी हैं।
    - **कमज़ोर अपीलीय नकिाय:** दूसरे वकिल्प में एक कमज़ोर (diluted) अपीलीय नकिाय पर वचिार करना शामलि है, जहाँ AB की शक्तयिाँ सीमति होंगी, जो संभावति रूप से WTO कानून की अपेक्षाओं के वपिरीत, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को सुरक्षा एवं पूर्वानुमान प्रदान करने की क्षमता में बाधा डालेगी।
    - **अंतरमि समाधान के रूप में AB के लयि ऑप्ट-आउट प्रावधान:** तीसरा अंतरमि वकिल्प एक ऑप्ट-आउट प्रावधान के रूप में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के साथ AB को पुनर्जीवति करने का सुझाव देता है। हालाँक ियह दो-स्तरीय बाध्यकारी DSM की प्रकृत िको बदल सकता है, यह AB के वर्तमान स्वरूप को सुरक्षति रखने और स्वैच्छकि आधार पर अमेरिका को शामलि करने के संबंध में एक समझौते की स्थित िको इंगति कर सकता है।

नषि्कर्ष

WTO की 13वीं मंत्रस्तिरीय बैठक अक्षम ववािद नपिटान तंत्र (DSM) के महत्त्वपूर्ण मुद्दे का सामना करेगी, जो वर्ष 2019 से अमेरिका द्वारा अपीलीय नकिाय में नए सदस्यों की नयिुक्त िको रोकने का परणिाम है। पूरी तरह कार्यात्मक DSM की पुनर्बहाली के प्रयास को चुनौतयिों का सामना करना पड़ रहा है

क्योंकि अमेरिका न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के प्रति अनिच्छा रखता है। जबकि आदर्श समाधान यह होगा कि अपीलीय निकाय को वर्ष 2019 तक की पूर्वस्थिति में पुनर्बहाल किया जाए, इच्छुक देशों के लिये AB की स्थिति से समझौता करना WTO में उनकी आवश्यक भूमिका की रक्षा के लिये एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न: चुनौतियों को संबोधित करने के लिये, विशेष रूप से विवाद निपटान तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आवश्यक सुधारों और वैश्विक व्यापार प्रशासन पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमित किया? (2018)

(a) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
(d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (d)

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

(a) खाद्य और कृषि संगठन
(b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रुपरेखा सम्मेलन
(c) विश्व व्यापार संगठन
(d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित में से किस संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016)

(a) WTO मामला
(b) SAARC मामला
(c) UNFCCC मामला
(d) FTA पर भारत-EU वार्ता

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) की पुष्टि की है।
2. TFA 2013 के WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज का एक हिस्सा है।
3. TFA जनवरी 2016 में लागू हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

प्रश्न. व्यापार-संबंधित निवेश उपाय (TRIMS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2020)

1. विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध निषिद्ध हैं।
2. वे वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं।

3. उन्हें वदिशी नविश के नयिमन से कोई सरोकार नहीं है।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

?????:

प्रश्न. वशि्व व्यापार संगठन एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ लयि गए नर्णिय देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं। वशि्व व्यापार संगठन का जनादेश क्या है और उसके नर्णिय कतिने बाध्यकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर वार्ता के नवीनतम दौर पर भारत के रुख का आलोचनात्मक वशि्लेषण कीजयि। (2014)

प्रश्न. "वशि्व व्यापार संगठन के अधकि व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन एवं प्रोन्नत किरना है। लेकनि वार्ताओं की दोहा परधि मृत्योन्मुखी प्रतीत होती है, जसिका कारण वकिसति तथा वकिासशील देशों के बीच मतभेद है। भारतीय परप्रिेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजयि। (2016)

प्रश्न. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परदि्श्य में वशि्व व्यापार संगठन को जदाि बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं वशिेष रूप से भारत के हति को ध्यान में रखते हुए? (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/impending-reforms-at-wto-s-appellate-body